न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

मि0न0 — 76 / 2024

अनवान : —

1. राजवीर पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी सरदारगढिया त0 भादरा।
2. राजेश पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी सरदारगढिया त0 भादरा।

वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र रामरख जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा।
2. बलवती देवी पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी सरदारगढिया त0 भादरा।
3. कमलेश देवी पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
5. आईसीआईसीआई बैंक शाखा सरदारगढिया जरिये शाखा प्रबधंक।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री विरेन्द्र बैनीवाल **वादीगण**
श्री विजेन्द्र बैनीवाल प्रतिवादी

निर्णय दिनांक:

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 3 एमएसआर के खाता सं0 42 / 42 के मु0न0 125 केकिला न0 3 ता 5, 6 / 1, 6 / 2, 7 / 1, 7 / 2, 8 / 1, 8 / 2, 13 ता 18, 24 की कुल 3.024 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 जगदीश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति—रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। बहस वकील वादीगण ने निवेदन किया वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.21 11:41:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

साक्ष्यवादी में वादी राजेश द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में वर्तमान जमाबंदी वाद भूमि प्रदर्श 1 पैतृक जमाबंदी प्रदर्श 2 जमाबंदी चक 4 एमएसआर प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवायें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा 3 एमएसआर के खाता सं0 42/42 के मु0न0 125 केकिला न0 3 ता 5, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 13 ता 18, 24 की कुल 3.024 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 जगदीश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 2 से उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण के साथ–साथ प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। चूंकि वाद भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि चक 4 एमएसआर के खाता सं0 37/27 की कुल 2.200है0 प्रदर्श 3 के मुताबिक प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अतः प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने वाद भूमि से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रदर्श 4 के मुताबिक प्रतिवादी सं0 1 जगदीश के अन्य वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। चूंकि प्रस्तुत वाद में पक्षकारान के मध्य राजीनामा पेश किया है तथा मुताबिक शपथ पत्र वारिसान प्रतिवादी सं0 1 जगदीश की पत्नी शांति राजीनामा में शामिल नहीं है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गुरूदत खण्डापा बनाम हीराबाई खण्डापा ए.आई.आर. 1978 सुप्रीम कोर्ट पेज न0 1239 तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा लिछमादेवी बनाम रामजीलाल आदि 122 आरआरडी 14.07.2008 पेज न0 478 के प्रकरण में पारित निर्णय के मध्यनजर वाद को आंशिक डीक्री किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 3 एमएसआर के खाता सं0 42/42 के मु0न0 125 केकिला न0 3 ता 5, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 13 ता 18, 24 की कुल 3.024 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 जगदीश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 जगदीश का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण सं0 1 राजवीर व वादी सं0 2 राजेश एवं शांति पत्नी जगदीश को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। जमाबंदी में दर्ज वाद भूमि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। जमाबंदी में दर्ज वाद भूमि यथा गै0मु0 खाला रास्ता व भूमि की किस्म को यथावत् पढ़ा जावे। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13-08-24 [illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.21 11:41:08 IST
Reason: SelfAttested

13-08-24
(ओ.पी. चन्देलिया) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस

मि0न0 – 76/2024

अनवान : –

1. राजवीर पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी सरदारगढिया त0 भादरा।
2. राजेश पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी सरदारगढिया त0 भादरा।

वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र रामरख जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा।
2. बलवती देवी पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी सरदारगढिया त0 भादरा।
3. कमलेश देवी पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी सरदारगढिया त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
5. आईसीआईसीआई बैंक शाखा सरदारगढिया जरिये शाखा प्रबधंक।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ ओ.पी. चन्देलिया उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विरेन्द्र बैनीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री विजेन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 3 एमएसआर के खाता सं0 42/42 के मु0न0 125 केकिला न0 3 ता 5, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 13 ता 18, 24 की कुल 3.024 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 जगदीश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 जगदीश का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण सं0 01 राजवीर व वादी सं0 2 राजेश एवं शांति पत्नी जगदीश को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। जमाबंदी में दर्ज वाद भूमि यथा गै0मु0 खाला रास्ता व भूमि की किस्म को यथावत् पढ़ा जावे। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13-08-24..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.21 11:41:08 IST
Reason: SelfAttested

13-08-24

(ओ.पी. चन्देलिया) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner